

फॉर्म अहकाम

(विधय 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर उखीन

मुकाम सपवास, जिला भरतपुर

कामना वर्ग बनाम प्रभु वर्ग

हस्त मुकदमा डावा धारा 88, 89, 53, 188 RTA

34

सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

25/2/22 आज यह वाद पत्र, वादी के अधिभाषक-
इन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 RTA
के तहत पेश किया गया। डावा दर्ज
रजिस्टर हो। प्रतिवादी गण की तल्की
जरीये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक
8-3-2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर

उखीन (भरतपुर)

8/3/22

पत्रावली पेश हुई आदिवादी उपर। 12/3/22 को पेश हो।

12/3/22

पत्रावली प्राप्त राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 में
पेश हुई आदिवादी उपर वादी गण ने एक जा
पत्र पेश कर विवेदन किया है कि एक पत्रकारिता
के मध्य गांव के पंच बैठकों में भाग लेते रहते-
वरी ने राजीनामा करा दिया है। अतः एक अंत
मुकदमे में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
वादी गण के बाद पत्र को जा पत्र पर बिना किसी
भाषि की अनुमति ही जारी है। पत्रावली में भी
जा रही कार्यवाही इसी स्तर पर शेष की जाकर
पत्रावली के अंत मुकदमे नम्बर से कर डेकर

सुनीता
शर्मा
प्रभु सिंह
मे प्रभु शर्मा

क. ह. म. क. कापीड लाइ
सिविल जज के रूप में अधिक मजिस्ट्रेट
उखीन, भरतपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
उखीन (भरतपुर)